भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4406
20.03.2020 को उत्तर के लिए

ध्वनि प्रदूषण

4406. श्री डी.के. सुरेश:
श्री गोपाल चिन्नय शेट्टी:
श्री मितेष रमेशभाई पटेल (बकाभाई):

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली और मुंबई सहित मेट्रो शहरों में शोर का स्तर निर्धारित सीमा से ऊपर है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या यह सच है कि सड़कों पर चलने वाले वाहनों के लगातार चलने से होने वाला ध्वनि प्रदूषण इसका एक प्रमुख कारण है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या महानगरीय शहरों विशेषकर महिलाओं और बच्चों का जीवन ध्वनि प्रदूषण के कारण प्रभावित हो रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) देश के महानगरीय शहरों और शहरी क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्ययोजना तैयार की गई है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख): केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी)/ प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) के सहयोग से राष्ट्रीय परिवेशी शोर निगरानी कार्यक्रम के तहत सात मेट्रो शहरों, नामत: दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चैन्नै, हैदराबाद, बंगलुरू और लखनऊ में पहचान किए गए स्थानों में परिवेशी शोर के स्तरों की निगरानी की जाती है। वर्ष 2019 के दौरान दर्ज किए गए शोर के स्तरों का शहर-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है। ध्वनि प्रदूषण वाहन यातायात, हार्न बजाने, रेलवे, मेट्रो ट्रेनों, वायुयानों, उद्योगों, जनरेटरों, निर्माण कार्यकलापों, सार्वजनिक सूचना तंत्रों के प्रयोग, पटाखे जलाने आदि के कारण हो सकता है।

(ग): सड़कों पर चलने वाले वाहनों का निरंतर हार्न बजाना, विशेष रूप से शहरों/कस्बों में, ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों में से एक है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और उसके अंतर्गत अधिसूचित नियमों के

प्रावधानों के तहत, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा हॉर्नों और वाहनों से उत्पन्न शोर के लिए मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं।

(घ): रिपोर्टों से यह संकेत मिलता है कि शोर के उच्च स्तरों से महिलाओं एवं बच्चों सहित लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है। इससे लोगों की श्रवण क्षमता में कमी और श्रवण विकार आदि जैसे प्रभाव के अलावा नींद में कमी, तनाव, उच्च रक्तचाप आदि की बीमारी हो सकती है।

(ङ.) देश के महानगरों तथा शहरी क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण में कमी लाने हेतु, सरकार द्वारा शोर उत्पन्न और सृजित करने वाले स्रोतों के विनियमन एवं नियंत्रण के लिए ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 अधिसूचित किए गए हैं। मोटर वाहनों, एयर कंडिशनरों, रेफ्रिजरेटरों, जेनरेटर सेटों और कुछ प्रकार के निर्माण उपकरणों के लिए शोर संबंधी मानक पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के तहत निर्धारित किए गए हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उद्योगों से उत्पन्न होने वाले शोर को वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) द्वारा विनियमित किया जाता है। ध्वनि प्रदूषण में कमी लाने की कार्यनीति के भाग के रूप में, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उठाए गए कदमों में, अन्य बातों के साथ-साथ, 07 मेट्रों शहरों में राष्ट्रीय परिवेशी शोर निगरानी नेटवर्क स्थापित करने के अलावा भारत में शोर के मानचित्रण की पद्धति विकसित करना, हॉट स्पॉटों की पहचान करना तथा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए उपशमन योजना तैयार करना आदि शामिल हैं;

****

अनुबंध-I

'ध्वनि प्रदूषण' के संबंध में श्री डी.के. सुरेश, श्री गोपाल चिन्नय शेट्टी और श्री मितेष रमेशभाई पटेल (बकाभाई), माननीय संसद सदस्यों द्वारा दिनांक 20.03.2020 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 4406 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2019 के लिए सात शहरों के परिवेशी शोर-स्तर के आंकड़ों का ब्यौरा

क्र.सं.	जोन के साथ स्टेशनों का नाम		dB (A) Leq में सीमा		2019	
	शहर	स्थान	दिन	रात	दिन	रात
			प्रातः 06 बजे से रात्रि 10 बजे तक	सुबह 10 बजे से शाम 06 बजे तक	Leq dB (A)	Leq dB (A)
1	बैंगलुरू	परिसर भवन (सी)	65	55	67	62
2		पीनिया (आई)	75	70	63	58
3		निसर्ग भवन (आर)	55	45	76	79
4		मरथाली (सी)	65	55	73	73
5		बीटीएम (आर)	55	45	65	65
6		यशवंतपुर (सी)	65	55	72	64
7		आर.वी.सी.ई (एस)	50	40	67	66
8		व्हाइटफील्ड (I)	75	70	66	61
9		डोलमुर (आर)	55	45	64	59
10		निहमंस (एस)	50	40	72	74
1 1	चेन्नई	आई हॉस्पिटल (एस)	50	40	69	61
12		टी. नगर (सी)	65	55	77	73
13		पेरांबुर (सी)	65	55	74	72
14		गिंडी (आई)	75	70	80	78
15		ट्रिप्लिकेन (आर)	55	45	61	59
16		पल्लीकरनई (सी)	65	55	84	79
17		वेलाचेरी (आर)	55	45	65	60
18		वाशरमैनपेट (सी)	65	55	76	71
19		अन्ना नगर (एस)	40	40	75	78
20		सोकारपेट (आर)	55	45	62	60
21	दिल्ली	दिलशाद गार्डन (एस)	50	40	69	68
22		सीपीसीबी मुख्यालय. (सी)	65	55	66	57
23		डीसीई (एस)	50	40	62	58
24		आईटीओ (सी)	65	55	75	73
25		एनएसआईटी (एस)	50	40	58	54

क्र.सं.	जोन के साथ स्टेशनों का नाम		dB (A) Leq में सीमा		2019	
26		सिविल लाइन्स (सी)	65	55	62	58
27		आर के पुरम (आर)	55	45	67	62
28		आनंदविहार (सी)	65	55	66	62
29		मंदिर मार्ग (एस)	40	40	65	55
30		पंजाबी बाग (आर)	55	45	61	52
31	हैदराबाद	एबिड्स (सी)	65	55	73	66
32		पंजागुट्टा (सी)	65	55	70	63
33		जीदीमेटला (आई)	75	70	73	73
34		चिड़ियाघर(एस)	50	40	51	50
35		जुबली हिल्स (आर)	55	45	60	54
36		टर्नाका (आर)	55	45	81	82
37		गद्दापोथरम (आई)	75	70	83	74
38		गचीबोली(एस)	50	40	60	58
39		सिकंदराबाद (सी)	55	55	81	80
40		कुकटपल्ली (सी)	65	55	70	67
41	कोलकाता	एसएसकेएम अस्पताल (एस)	50	40	70	70
42		गोल पार्क (आई)	75	70	64	61
43		मुख्यालय (सी)	65	55	63	57
44		पटौली (आर)	55	45	73	72
45		न्यू मार्किट (सी)	65	55	73	76
46		बिराटी (आर)	55	45	79	78
47		आरजी कर (एस)	50	40	64	62
48		टॉलीगुंगे (सी)	65	55	67	63
49		बाग बाजार (आर)	45	45	87	90
50		बेहाला (आई)	75	70	75	73
51	लखनऊ	तालकोटरा (आई)	75	70	64	62
52		हजरतगंज (सी)	65	55	74	73
53		पी.जी.आई (एस)	50	40	67	67
54		इंदिरा नगर (आर)	55	45	51	45
55		गोमती नगर (एस)	50	40	67	60
56		चिनहाट (आई)	75	70	67	60
57		आईटी कॉलेज (एस)	50	40	65	59
58		सीएसएस एयरपोर्ट (सी)	65	55	76	67
59		आरएससी अलीगंज (सी)	65	55	65	58
60		यूपीपीसीबी मुख्यालय	55	45	64	62

क्र.सं.	जोन के साथ स्टेशनों का नाम		dB (A) Leq में सीमा		2019	
		(आर)				
61	मुंबई	थाणे (सी)	65	55	69	69
62		वाशी हॉस्पिटल (एस)	50	40	76	74
63		एशप (एस)	50	40	48	46
64		बांद्रा (सी)	65	55	67	67
65		एमपीसीबी, मुख्यालय (सी)	65	55	70	67
66		एम एंड एम कांडिवली (आई)	75	70	60	53
67		सीएसटी (सी)	65	55	74	70
68		एल एंड टी पोवई (आई)	75	70	59	55
69		पेप्सिको चेम्बुर (आर)	45	45	68	61
70		अंधेरी (आई)	75	70	79	78